क्रम संख्या–10 (ज)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 09 जनवरी 2018 ई0

पौष 19, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 30/XXXVI (3)/2018/93(1)/2017

देहरादून, 09 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2017'** पर दिनांक 05 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक निवेश में वृद्धि एवं व्यापार करने की सुगमता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950), अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

(भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमित)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "**उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन), अधिनियम 2017**" है।

(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय–समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 154 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) की धारा 154 की उपधारा (4) के खण्ड (3) (क) के उपखण्ड (पांच) के पश्चात एक नया उपखण्ड (छः) निम्नवत अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः –

"**(छः)** उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–05 वर्ष 2013) की धारा (5) की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अध्याधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों हेतु जिलाधिकारी भूमि कय की अनुमति देने के लिए निम्नवत अधिकृत होंगे, अर्थात –

(क) भारत सरकार की विशेष औद्योगिक पैकेज, 2003 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों में राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित गैर अनुमन्य उद्यमों को छोड़कर सभी प्रकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु ;

(ख) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित थ्रस्ट सेक्टर उद्यमों को सम्पूर्ण राज्य में उद्यम स्थापित करने हेतु।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

कारण एवं उददेश्य

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक निवेश में वृद्धि एवं व्यापार करने की सुगमता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है।

2. उक्त विधेयक उपरोक्त उदेश्य की पूर्ति के लिए है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 विधायी/49–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।